महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर-321201

Email-vc@msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :– प. 1(11)मसूबृवि/बोम/2022/326 दिनांकः– 25जून 2022

दिनांक 13.06.2022 को प्रबन्ध–मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

मा. कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध–मण्डल की 15वीं बैठक दिनांक 13.06.2022 को प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय के चक सकीतरा स्थित परिसर के सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित रहे–

1. प्रो. राजेश कुमार सिंह धाकरे, कुलपति, म.सू.बृज विश्वविद्यालय, कुम्हेर, भरतपुर
2. प्रो. जे.पी. शर्मा, माननीय मनोनीत सदस्य, मा. कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय पूर्व कुलपति, उदयपुर विश्वविद्यालय (ऑन लाइन)
3. डा. रमेश चन्द्र पाठक, राजभवन, तमसा मार्ग, अकबरपुर, जिला – अम्बेडकर नगर (उ0प्र0) माननीय मनोनीत सदस्य, मा. कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय
4. प्रो. जे.पी. यादव, माननीय कुलपति, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार
5. डा. फिरोज अख्तर, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4), विशेष आमंत्रित सदस्य, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। (ऑन लाइन)
6. डा. सोहन लाल मीना, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर, मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार
7. डा. धीरेन्द्र देवर्षि, प्राचार्य,रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर, मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार
8. डा. सुरेश डागुर, प्राचार्य, स्वामी विवेकानन्द पी0जी0 महाविद्यालय भरतपुर, मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार
9. श्री सी.एम. कोली, एम.एस.जे. कॉलेज भरतपुर, अधिष्ठाता, कला संकाय, मनोनीत सदस्य, मा. कुलपति महोदय
10. श्रीमती मधु शर्मा, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय, मनोनीत सदस्य, मा. कुलपति महोदय।
11. *श्री अनिल गोयल, वित्त नियंत्रक, विशेष आमंत्रित सदस्य, मा. कुलपति महोदय की अनुमति से।
12. *डा. एस. के. जैन, प्राचार्य, राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, धौलपुर, अध्यक्ष, खेल बोर्ड, विशेष आमंत्रित सदस्य, मा. कुलपति महोदय की अनुमति से।
13. *डा. लाला शंकर गयावाल, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर, विशेष आमंत्रित सदस्य, मा. कुलपति महोदय की अनुमति से।
14. *डा. लक्ष्मीकान्त गुप्ता, समन्वयक आई.क्यू.ए.सी.,एम.एस.जे. कॉलेज भरतपुर, विशेष आमंत्रित सदस्य, मा. कुलपति महोदय की अनुमति से।
15. श्री सुभाष चन्द शर्मा, कुलसचिव, सदस्य सचिव

अध्यक्ष/कुलपति महोदय ने प्रबन्ध–मण्डल के सभी उपस्थित सदस्यों व सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया तथा नए सदस्य विधायक राजाखेडा श्री रोहित बोहरा, विधायक नगर श्री वाजिब अली, प्राचार्य, डा. धीरेन्द्र देवर्षि, प्राचार्य, डा. सुरेश डागुर, श्री सी.एम. कोली एवं श्रीमती मधु शर्मा का सदन से परिचय कराया। प्रबन्ध–मण्डल के सभी सदस्यों द्वारा नए सदस्यों का स्वागत किया एवं बधाई दी।

मा. सदस्य एवं विधायक श्री रोहित बोहरा एवं श्री वाजिब अली ने अन्यत्र व्यस्तता होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं होने की सूचना अध्यक्ष महोदय को प्रेषित कर दी थी, जिससे सदन को अवगत करा दिया।

*** विशेष आमंत्रित सदस्यों को अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं को प्रबन्ध–मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।**

बैठक में निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए–

क्र.सं	एजेण्डा बिन्दु
1.	दिनांक 06.04.2021 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। (परिशिष्ट–01)
निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	दिनांक 06.04.2021 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रगति रिपोर्ट। (परिशिष्ट–02)
निर्णय	कार्यवाही विवरण की प्रगति पर निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई– 1. (i) मा. कुलपति महोदय ने प्रबन्ध–मण्डल के सभी सदस्यों को अवगत कराया कि समय से प्रबन्ध–मण्डल की बैठक कराना हमारी प्रतिबद्धता है। सीमित संसाधनों एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अभाव के बाद भी हम प्राथमिकता पूर्वक परीक्षा आयोजित करा परिणाम जारी कर रहे हैं एवं भविष्य में अनुकूलता होते ही प्रबन्ध–मण्डल की बैठक समय पर कराई जायेगी। (ii) राजकीय कन्या महाविद्यालय, धौलपुर हेतु बस क्रय किये जाने के क्रम में राज्य सरकार को पूर्व में पत्र लिखे गये थे, जिनका आदिनांक उत्तर अप्राप्त है। कुलसचिव ने इसी क्रम में सूचित किया कि राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी के प्राचार्य ने भी विश्वविद्यालय को अपने महाविद्यालय के प्रयोगार्थ बस क्रय करने हेतु निवेदन किया है। मा. सदस्य प्रो. जे.पी. शर्मा ने विश्वविद्यालय की अर्थ व्यय सम्बन्धित सीमाओं की बात कहते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया। सदन ने विचारोपरान्त निर्णय दिया कि राज्य सरकार को अनुमति एवं क्रय किये जाने की दशा में बस की रखरखाव एवं संचालन (वाहन चालक एवं सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति आदि) हेतु पुनः पत्र प्रेषित कर उनकी प्रतियाँ माननीय विधायकगण को भी प्रेषित की जाय। 2. युवा महोत्सव की नियमावली का अनुमोदन किया गया तथा प्रथम युवा महोत्सव के सफल आयोजन की सराहना की गई। उपर्युक्त सुझावों/निर्णयों के साथ दिनांक 06.04.2021 को आयोजित प्रबन्ध–मण्डल की कार्यवाही विवरण की पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
3.	दिनांक 25.04.2022 को आयोजित वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। (परिशिष्ट–03)
निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4	दिनांक 21.05.2022 को आयोजित निरीक्षक मण्डल (बी0ओ0आई0) की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन (परिशिष्ट–04)
निर्णय	कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 06 पर चर्चा कर सदन ने निर्णय किया कि पूर्व में संचालित स्नातक महाविद्यालयों एवं नवीन आवेदित महाविद्यालयों से कॉरपस फण्ड की राशि समरूपता के सम्बन्ध में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से विधिवत जानकारी प्राप्त कर कुलपति महोदय द्वारा इस विषय पर निर्णय किया जाय। कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
5	दिनांक 19.04.2022 को आयोजित Examination Planning and Monitoring Committee (EPMC) की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन (परिशिष्ट–05)
निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6	दिनांक 04.05.2022 को आयोजित Examination Planning and Monitoring Committee (EPMC) की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन (परिशिष्ट–06)
निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
7.	दिनांक 13.05.2022 को आयोजित Examination Planning and Monitoring Committee (EPMC) की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन (परिशिष्ट–07)
निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8.	श्री वाजिब अली, माननीय विधायक नगर, भरतपुर को राज्य सरकार द्वारा 03 वर्ष के लिए प्रबन्ध–मण्डल में सदस्य मनोनीत किया गया है। प्रबन्ध–मण्डल के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं स्वागतार्थ प्रेषित।

निर्णय	सभी सदस्यों द्वारा स्वागत किया एवं शुभकामनाएँ दी गई।
9.	श्री रोहित बोहरा, माननीय विधायक राजाखेडा, धौलपुर को राज्य सरकार द्वारा पुनः आगामी 03 वर्ष के लिए प्रबन्ध–मण्डल में सदस्य के मनोनीत किया गया है। प्रबन्ध–मण्डल के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं स्वागतार्थ प्रेषित।
निर्णय	सभी सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया एवं शुभकामनाएँ दी गई।
10.	प्रबन्ध–मण्डल की विगत बैठक के बाद श्री सुभाष चन्द शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पदभार दिनांक 13.12.2021 को ग्रहण किया। प्रबन्ध–मण्डल के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
निर्णय	सभी सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया एवं शुभकामनाएँ दी गई।
11.	प्रबन्ध–मण्डल की विगत बैठक के बाद श्री अनिल गोयल द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक का पदभार दिनांक 03.01.2022 को ग्रहण किया। प्रबन्ध–मण्डल के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
निर्णय	सभी सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया एवं शुभकामनाएँ दी गई।
12.	**वित्तीय वर्ष 2015–16 व कर निर्धारण वर्ष 2016–17 में देय आयकर राशि 5,04,88,220 रूपये एवं ब्याज जमा कराने बावत्।** आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.05.2018 के द्वारा विश्वविद्यालय की आय को धारा 10(23C)(IIIAB) के अन्तर्गत आय राशि 9,40,81,516 को कर मुक्त माना जाकर आयकर निल (शून्य) कायम किया गया। इसके बाद प्रकरण को धारा 143(3) के तहत समीक्षा में लिया गया, जिसका कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.11.2018 में भी विश्वविद्यालय की आय को धारा 10(23C)(IIIAB) के अन्तर्गत कर मुक्त माना जाकर कर योग्य आय निल स्वीकार्य की गई। इसके बाद आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत प्रकरण को 23.03.2021 को रिओपन किया गया। जिसमें विश्वविद्यालय की आय को धारा 10(23C)(IIIAB) के अन्तर्गत कर मुक्त नही माना जाकर आदेश दिनांक 16.03.2022 को आयकर की राशि 5,04,88,220 एवं देय ब्याज की मांग की गई। इसके बाद कर सलाहकार मै. त्रिलोक जैन एण्ड कम्पनी भरतपुर की राय पर माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई साथ ही कर सलाहकार द्वारा दिनांक 20.05.2022 को यह भी राय दी गईं कि आयकर की मांग राशि 5,04,88,220 को पूर्ण जमा नही कराकर केवल 20 प्रतिशत राशि 1,01,00,000 रूपये जमा कराया जाकर मांग पर स्टे प्राप्त करना उचित रहेगा। बाद में उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कार्यवाही कर ली जावेगी। **अतः कर निर्धारण वर्ष 2016–17 की अपील माननीय उच्च न्यायालय में दायर होने एवं अभी तक अपील का निर्णय नहीं होने तथा माँग राशि पर स्थगन (Stay) नही मिलने के कारण कर सलाहकार की राय के अनुसार आयकर की माँग राशि रू. 5,04,88,220 पर स्थगन (Stay) प्राप्त करने के लिये आयकर की कुल माँग राशि का 20 प्रतिशत राशि रू. 1,0100000/– (रूपये एक करोड़ एक लाख) आयकर विभाग में जमा कराने के निर्णय हेतु एजेण्डा प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है**
निर्णय	मा. उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण का निर्णय होने के उपरान्त कर सलाहकार की राय के अनुसार कार्यवाही की जाय।
13	**वित्तीय वर्ष 2016–17 व कर निर्धारण वर्ष 2017–18 में देय आयकर 6,77,09,020 रूपये एवं ब्याज जमा कराने बावत्** आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.03.2019 के द्वारा विश्वविद्यालय की आय को धारा 10(23C)(IIIAB) के अन्तर्गत आय राशि 16,37,82,012 को कर मुक्त नही माना जाकर आयकर राशि 7,97,63,001 एवं ब्याज की मांग कायम की गई। इसके बाद प्रकरण को धारा 143(3) के तहत समीक्षा में लिया गया, जिसका कर निर्धारण आदेश दिनांक 04. 11.2019 में भी विश्वविद्यालय की आय राशि 13,54,78,012/– को धारा 10(23C)(IIIAB) के अन्तर्गत कर मुक्त नही माना जाकर आयकर की राशि 6,77,09,020/– एवं ब्याज की मांग कायम की गई। इसके बाद कर सलाहकार मै. त्रिलोक जैन एण्ड कम्पनी भरतपुर की राय पर मांग राशि का 20 प्रतिशत राशि 1,35,50,000/– रूपये विभाग में जमा कराकर स्टे लिया गया है। लेकिन कर सलाहकार महोदय द्वारा दिनांक 26.05.2022 को राय दी गई कि सम्पूर्ण आयकर की मांग राशि को मय ब्याज जमा कराया जाना उचित होगा। क्योंकि अपील में सफलता मिलने की संभावना कम है। इसके अलावा आयकर विभाग मांग राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज बसूल करेगा।

	जबकि विश्वविद्यालय को बैंक में जमा राशि पर 05 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त होगा और यदि आयकर विभाग जमा राशि का रिफण्ड करता है तो लगभग 06 प्रतिशत की दर से ब्याज का भी भुगतान करेगा। **अतः कर निर्धारण वर्ष 2017–18 की अपील माननीय CIT (अपील) के यहां किये जाने तथा अभी तक अपील का निर्णय नहीं होने एवं कर सलाहकार की राय के अनुसार अपील में सफलता मिलने की सम्भावना कम होने के कारण आयकर की बकाया समस्त राशि 5,41,59,020/– को आयकर विभाग में जमा कराने हेतु एजेण्डा प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।**
निर्णय	मा. सी.आई.टी. (अपील) द्वारा प्रकरण का निर्णय होने के उपरान्त कर सलाहकार की राय के अनुसार कार्यवाही की जाय।
14	**वित्तीय वर्ष 2017–18 व कर निर्धारण वर्ष 2018–19 में देय आयकर राशि 8,72,12,900/– रूपये एवं ब्याज जमा कराने बावत्** आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.03.2020 के द्वारा विश्वविद्यालय की आय को धारा 10(23C)(IIIAB) के अन्तर्गत आय राशि 27,76,83,483 को कर मुक्त नही माना जाकर आयकर राशि 12,72,51,644 एवं ब्याज की मांग कायम की गई। इसके बाद प्रकरण को धारा 143(3) के तहत समीक्षा में लिया गया, जिसका कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.03.2021 में भी विश्वविद्यालय की आय राशि 18,06,58,358 को धारा 10(23C)(IIIAB) के अन्तर्गत कर मुक्त नही माना जाकर आयकर की राशि 9,21,93,530 एवं ब्याज की मांग कायम की गई। इसके बाद कर सलाहकार मै. त्रिलोक जैन एण्ड कम्पनी भरतपुर की राय पर मांग राशि का 20 प्रतिशत राशि 1,85,00,000 रूपये विभाग में जमा कराकर स्टे लिया गया है। लेकिन कर सलाहकार महोदय की राय दिनांक 26.05.2022 के अनुसार सम्पूर्ण आयकर की मांग राशि को मय ब्याज जमा कराया जाना उचित होगा। क्योंकि अपील में सफलता मिलने की कोई उम्मीद नही है। इसके अलावा आयकर विभाग मांग राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज बसूल करेगा। जबकि विश्वविद्यालय को बैंक में जमा राशि पर 05 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त होगा और यदि आयकर विभाग जमा राशि का रिफण्ड करता है तो लगभग 06 प्रतिशत की दर से ब्याज का भी भुगतान करेगा। **अतः कर निर्धारण वर्ष 2018–19 की अपील माननीय CIT (अपील) के यहां किये जाने तथा अपील का निर्णय अभी तक नहीं होने एवं कर सलाहकार की राय के अनुसार अपील में सफलता मिलने की सम्भावना कम होने के कारण आयकर की बकाया राशि 6,87,12,900/– को आयकर विभाग में जमा कराने हेतु एजेण्डा प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।**
निर्णय	मा. सी.आई.टी. (अपील) द्वारा प्रकरण का निर्णय होने के उपरान्त कर सलाहकार की राय के अनुसार कार्यवाही की जाय।
15	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एव राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की भाँति महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं उनके परिजनों के सहायतार्थ शिक्षक अंशदायी कल्याणकोष बनाने हेतु नियम लागू किए जाने हेतु तैयार किए गए हैं। प्रबन्ध–मण्डल की स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (परिशिष्ट–08)
निर्णय	प्रस्तावित शिक्षक अंशदायी कल्याणकोष के नियमों में नई परिस्थितियों के अनुसार संशोधन आवश्यक प्रतीत हो रहे हैं। निम्नवत एक समिति गठित कर संशोधन के साथ इन नियमों को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय– 1. वित्त नियंत्रक 2. श्री सी.एम. कोली, अधिष्ठाता, कला संकाय 3. श्रीमती मधु शर्मा, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान
16	अधिष्ठाता छात्र कल्याण के अन्तर्गत युवा महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागियों द्वारा राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर पर अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों, टीम मैनेजर, सहायक कलाकार आदि को टी.ए./डी.ए. मानदेय आदि दिये जाने हेतु अनुमानित राशि 05 लाख की अनुमति एवं बजट का निर्धारण।
निर्णय	सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। अगली बैठक में विस्तृत नियम तैयार कर प्रस्तुत किये जायें।

17	विश्वविद्यालय के ग्लोबल परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों में से प्रत्येक विषय में मेरिट के आधार पर एक–एक छात्रवृत्ति दिये जाने के लिए बिन्दु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय	सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। अगली बैठक में विस्तृत नियम तैयार कर प्रस्तुत किये जायें।
18	विश्वविद्यालय में अध्ययनरत नियमित गरीब एवं अक्षम विद्यार्थियों को माँग के आधार पर प्रत्येक सत्र में 20 छात्रवृत्ति मेरिट के आधार पर (10 छात्रवृत्तियाँ छात्राओं हेतु आरक्षित रहेंगी) दिये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय	सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। अगली बैठक में विस्तृत नियम तैयार कर प्रस्तुत किये जायें।
19	अधिष्ठाता छात्र कल्याण केन्द्र की स्थापना जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी परामर्श केन्द्र एवं रोजगार नियोजन केन्द्र होंगे, जिसमें विद्यार्थियों के लिए अध्ययनकक्ष में समाचार पत्र, मैगजीन एवं रोजगार आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। केन्द्र की स्थापना हेतु स्टाफ आदि की व्यवस्थार्थ बजट राशि निर्धारित करने हेतु बिन्दु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय	परामर्श एवं रोजगार नियोजन केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव की सराहना की गई तथा पूर्व से संचालित राजीव गॉधी विद्यार्थी परामर्श केन्द्र के साथ जोड़ते हुए इसके समस्त प्रावधानों एवं सम्बन्धित कार्यकलापों की लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 13.06.2022 को प्रबन्ध–मण्डल की बैठक हेतु टेबल एजेण्डा बिन्दु

क्र.सं	टेबल एजेण्डा बिन्दु
1.टी.	विश्वविद्यालय में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.14(31)शिक्षा–4/2012 जयपुर दिनांक 04.09.2012 द्वारा सूचना सहायक के 04 पद (DOITC से प्रतिनियुक्ति पर) सृजित किये गये थे। विश्वविद्यालय के प्रंबंध मण्डल की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर 2018 को आयोजित बैठक के एजेण्डा बिन्दु 04 में आई.टी. कार्मिको हेतु नये अशैक्षणिक पदों का सृजन करते हुए अनुमोदन किया गया था –

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	वेतनमान 2017 में पे–लेवल
1.	Technical Director/System Analyst	01	15600-39100 (7600)	L-19
2.	Analyst cum Programmer	01	15600-39100 (6600)	L-16
3.	Programmer	01	9300-34800 (4800)	L-12
4.	Informatics Assistant	04	5200-20200 (2800)	L-08

पूर्व में विश्वविद्यालय पर सत्र 2016–17 में 20000 छात्रों की परीक्षा आयोजन का भार था, जो वर्तमान में बढ़कर 1.50 लाख हो गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुभागों का प्रभार भी विश्वविद्यालय में बढ़ा है।

महोदय उपरोक्त पदों में विश्वविद्यालय की 1.50 लाख परीक्षार्थियो के भार, ऑनलाईन पोर्टल यथा छात्रवृति पोर्टल, सम्पर्क पोर्टल, परीक्षाओं के ऑनलाईन पोर्टल, सम्बद्धता पोर्टल, AISHE, Ph.D., UGC Portal, SPPP Portal, E-Procurement, MHRD NAD, Paymanger, Migration & Provisional Certificate एवं अन्य कार्यों को ऑनलाईन निष्पादित किये जाने के प्रयासों के मद्देनजर निम्नांकित पदों का सृजन किया जाना उचित होगा एवं विश्वविद्यालय के हित में होगा।

क्र.स.	पद का नाम	पूर्व में शासन द्वारा स्वीकृत पद	पूर्व में बोम द्वारा अनुमोदित पद	अनुमोदन हेतु पद	कुल पद	वेतनमान	क्र.स.
1.	Analyst cum Programmer (ACP)	-	**01**	-	**01**	15600-39100 (6600)	L-16
2.	Programmer	-	**01**	-	**01**	9300-34800 (4800)	L-12
3.	Assistant Programmer	-	**-**	**03**	**03**	9300-34800 (3600)	L-10
4.	Informatics Assistant	04	**04**	**02**	**10**	5200-20200 (2800)	L-08

इस हेतु भरतपुर जिले में पदस्थापित Analyst cum Programmer महोदय से DOITC विभाग कैडर से संबंधी चर्चा उपरांत उक्त पदों में आंशिक संशोधन करते हुए Technical Director/System Analyst (राज्य स्तरीय पद) का पद विलोपित किया जाना भी प्रस्तावित है।

महोदय वर्तमान में विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण न हो पाने एवं विश्वविद्यालय में तकनीकी एवं डिजिटाईजेशन संबंधी कार्यों को देखते हुए उक्त पदों का सृजन करवाकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से शीघ्र–अतिशीघ्र प्रतिनियुक्ति पर लिये जाना प्रस्तावित है। यहां उल्लेखनीय है कि पिछले 02 वर्षों से विश्वविद्यालय द्वारा ही सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान विश्वविद्यालय के स्तर से किया जा रहा है अतः इसी प्रक्रियानुसार पदों के सृजन किये जाने के उपरांत वित्तीय भार राजस्थान सरकार पर नही आयेगा। **एजेण्डा बिन्दु अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**

निर्णय

Technical Director/System Analyst का पद राज्य स्तरीय होने तथा विश्वविद्यालय में इसकी आवश्यकता न होने के कारण इसे विलोपित करते हुए केवल Assistant Programmer के 03 व सूचना सहायकों के पूर्व में अनुमोदित व स्वीकृत 04 + 04 के अतिरिक्त नए 02 सूचना सहायकों के पदों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

2.टी.

विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जानी वाली खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय से अन्यत्र यात्रा करने पर खिलाडियों एवं शिक्षक प्रशिक्षक एवं कोच को निम्नानुसार यात्रा भत्ता दिये जाने की अनुशंषा की जाती है–

शिक्षक, प्रशिक्षक एवं कोच–

1. रेल का वास्तविक किराया जिस श्रेणी के लिये वह पात्र है, टिकट प्रस्तुत करने पर।
2. बस के पात्रता श्रेणी अनुसार वास्तविक किराया टिकट प्रस्तुत करने पर।
3. दैनिक भत्ता राशि 750/– प्रतिदिन।
4. सामान्य श्रेणी में यात्रा करने पर टिकट की आवश्यकता नहीं है।

खिलाडियों को रेल यात्रा भत्ता

1. रेल का द्वितीय श्रेणी शयनयान का वास्तविक किराया मय आरक्षण व्यय टिकट प्रस्तुत करने पर।
2. बस साधारण, मेल, एक्सप्रेस का वास्तविक किराया टिकट प्रस्तुत करने पर।
3. दैनिक भत्ता राशि 600/– प्रतिदिन।
4. सामान्य श्रेणी में यात्रा करने पर टिकट की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

प्रबन्ध–मण्डल द्वारा निर्णय दिया कि शिक्षक, प्रशिक्षक एवं कोच को राजकीय कर्मचारी नहीं होने की स्थिति में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समान टी.ए./डी.ए. का भुगतान दिया जाय। संशोधन सहित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

3.टी.	विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु राजकीय कन्या महाविद्यालय, धौलपुर में एक सैटेलाइट ऑफिस स्थापित कर दिया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक शुक्रवार एवं शनिवार को उपस्थित रहते हैं। कार्य व्यवस्थार्थ एक लिपिक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कार्मिक प्रतिकार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया गया है। **बिन्दु सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।**
निर्णय	विश्वविद्यालय के द्वारा धौलपुर सैटेलाइट ऑफिस की स्थापना की सराहना की गई एवं अनुमोदन किया गया।
4.टी.	विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेल प्रतियोगिता (विशेषतः मलखम) आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। इस सत्र में विश्वविद्यालय के कई खिलाडियों द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किये हैं। अतः प्रतियोगिता हेतु अनुमानित राशि 20 लाख की आवश्यकता होगी। **बिन्दु अनुमोदनार्थ प्रेषित।**
निर्णय	सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई तथा विश्वविद्यालय व सम्बद्ध महाविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन तथा विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए खेल बोर्ड को निर्देशित किया गया।
5 टी.	मा. सदस्य डा. सुरेश डागुर ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न बिन्दु विचारार्थ प्रस्तुत किये– 1. परीक्षा केन्द्रों से प्रतिवर्ष लिए जाने वाले रिन्यूवल शुल्क की समाप्ति हेतु। 2. परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिछात्र की दर में वृद्धि हेतु। 3. परीक्षा कार्य में लगे समस्त कर्मचारीगण (उडनदस्ता, केन्द्राधीक्षक, वीक्षक, मंत्रालयिक, चतुर्थ. श्रेणी) प्रति पारी पारिश्रमिक में वृद्धि हेतु। 4. एफीलियेशन फीस में प्रतिवर्ष की जाने वाली वृद्धि पर रोक हेतु। 5. मूल्यांकन में परीक्षकों का मानदेय वृद्धि हेतु। 6. अनुमोदन प्रकिया के सरलीकरण हेतु। 7. विश्वविद्यालय परिसर में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगाई जाय।
निर्णय	1. बिन्दु ई.पी.एम.सी. के माध्यम से लाया जाय। 2. सैद्धान्तिक सहमति दी गई एवं ई.पी.एम.सी. के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्णय दिया। 3. सैद्धान्तिक सहमति दी गई एवं ई.पी.एम.सी. के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्णय दिया। 4. सत्र 2021–22 में कोई सम्बद्धता शुल्क में कोई भी वृद्धि नहीं की गई। 5. सैद्धान्तिक सहमति दी गई एवं ई.पी.एम.सी. के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्णय दिया। 6. नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। 7. महाराजा सूरजमल की प्रतिमा स्थापित करने हेतु पूर्व में ही प्रबन्ध–मण्डल की बैठक में अनुमादित कर लिया गया है। राशि 68.63 लाख का बजट प्रावधान कर लिया गया है।
6टी.	दिनांक 19.04.2022 को आयोजित Examination Planning and Monitoring Committee (EPMC) की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।
निर्णय	प्रबन्ध–मण्डल गहन चर्चा के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँची कि ऐसे प्रकरणों में अर्थदण्ड लगाये जाने के कारण कानूनी कार्यवाहियाँ बनती हैं। विश्वविद्यालय में पूर्व से ही अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या की कमी के कारण कार्य की अधिकता बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अर्थदण्ड के स्थान पर अकादमिक दण्ड का प्रावधान किया जाना उचित होगा। ई.पी.एम.सी. के प्रस्तुत कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 03 को स्थगित रखते हुए श्री बजरंग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डीग(222) तथा श्री बॉके बिहारी शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय (218) में आगामी 03 परीक्षा वर्षों (2022,2023 एवं 2024) में वाह्य परीक्षक नियुक्त कर विशेष पर्यवेक्षक की उपस्थिति में प्रायोगिक परीक्षाएँ सम्पन्न कराई जायें। किसी अन्य महाविद्यालय के सम्बन्ध में भी समान शिकायत प्राप्त होने पर ऐसी ही व्यवस्था की जाय। उपर्युक्त संशोधन के साथ दिनांक 19.04.2022 को आयोजित Examination Planning and Monitoring Committee (EPMC) की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
7टी.	मा. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य डा. धीरेन्द्र देवर्षि ने Karmaveer Bhaurao Patil Earn & Learn Scheme नामक योजना, जो पूर्व से ही महाराष्ट्र राज्य में लागू है, का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया।
निर्णय	अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रस्ताव का अध्ययन कर विधिवत रूपरेखा तैयार करें तथा इसे कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर लागू किया जाय।

8टी.	विभिन्न न्यायालयों में दाखिल वादों में विश्वविद्यालय का पक्ष रखने के लिए गठित किये जाने वाले अधिवक्ताओं के पैनल में सम्बन्धित न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष कार्यानुभव रखने वाले अधिवक्ताओं को ही शामिल किया जाय।
निर्णय	अनुमोदन किया गया।
	रिपोर्टिंग बिन्दु
आर1.	अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के आयोजन, उनके परिणामों की घोषणा करने एवं दीक्षान्त समारोह के आयोजन में अग्रणी है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा वर्ष 2020 तक का दीक्षान्त समारोह आयोजित कर लिया है। आगामी नवम्बर माह में वर्ष 2021 व 2022 के दीक्षान्त समारोह एक साथ आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने सभी सदस्यों से अतिथियों के नाम के संदर्भ में सुझाव देने का अग्रह किया।
आर2.	अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विश्वविद्यालय में शीघ्र ही डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना की जायेगी, जिसमें पाठ्यपुस्तकें, संदर्भग्रंथ एवं शोध पत्रिकाएँ छात्रों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
आर3.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समन्वयक आई.क्यू.ए.सी. डा. लक्ष्मीकान्त गुप्ता ने सदन को सूचित किया कि विश्वविद्यालय में शीघ्र ही अभी तक उत्तीर्ण समस्त विद्यार्थियों की उपाधियाँ डिजीलॉकर में ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जायेंगी। इसके लिए नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पोर्टल पर पंजीकरण एवं प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
आर4.	डा. धीरेन्द्र देवर्षि, श्री सी.एम. कोली, श्रीमती मधु शर्मा एवं डा. सुरेश डागुर आदि सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र 2021–22 की परीक्षाओं को सुचारू एवं सफलतापूर्वक आयोजित कराने पर मा. कुलपति महोदय एवं परीक्षा नियंत्रक को बधाई दी।
आर5.	सी.ए.जी.की रिपोर्ट के अनुसरण में विश्वविद्यालय में आई.क्यू.ए.सी. एवं सी.डी.सी. की स्थापना विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 121 दिनांक 24.07.2021 के द्वारा कर दी गई है। आई.क्यू.ए.सी. एवं सी.डी.सी. की प्रथम बैठक दिनांक 11.02.2022 को आयोजित की गई।

सदस्य सचिव श्री सुभाष चन्द शर्मा द्वारा मा. अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो. राजेश धाकरे)
कुलपति

(सुभाष चन्द शर्मा)
कुलसचिव